

207


मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 18/10/06

क्रमांक एफ 44-34/2006/20-2 : राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्कूली विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग के लिए प्रत्येक स्तर पर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रोजेक्ट की स्थापना की जाए। इस प्रोजेक्ट में संस्था के एक व्याख्याता को प्रभारी बनाया जाए। प्रोजेक्ट के अंतर्गत कैरियर मार्गदर्शन लाइब्रेरी तथा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु यह निर्णय लिया गया है कि कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से 1/- रुपये प्रतिमाह की दर से रोजगार एवं शिक्षा समन्वय शुल्क एकत्रित किया जाये। यह राशि संबंधित विद्यालय द्वारा एकत्र कर अपने पास रखी जायेगी एवं इस राशि से इस योजना पर होने वाले व्यय का भुगतान किया जा सकेगा। जो राशि छात्रों से एकत्र की जा रही है वह युक्तियुक्त तरीके से खर्च हो इस व्यय के ऑडिट की व्यवस्था भी की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

  
§ पुष्पलता सिंह §  
उप सचिव


म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 18-10-06

पृ0क्र0एफ 44-34/20-2/2006

प्रतिलिपि:-

- 1- आयुक्त लोक शिक्षण, म0प्र0
- 2- आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0
- 3- आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग भोपाल
- 4- समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
- 5- समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश
- 6- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म0प्र0 की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता जिलान्तर्गत उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 7- निदेशक स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना, महिला पॉलिटेक्निक, ओल्ड आइड0आई0एम0 बिल्डिंग, राजेन्द्र नगर इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव  
म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग